उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु "समग्र नीति"

मुख्य बिन्दु

- उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ भूगर्भ जल सम्पदा ने प्रमुख सिंचाई साधन के रूप में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है।
- प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत सिंचित कृषि मुख्य रूप से भूगर्भ जल संसाधनों पर निर्भर है। वहीं, पेयजल एवं औद्योगिक सेक्टर की अधिकांश जल आवश्यकताओं की पूर्ति भी भूगर्भ जल से ही होती है।
- भूगर्भ जल के असीमित एवं अत्याधिक उपयोग के परिणामस्वरूप, प्रदेश के अनेक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
- भूगर्भ जल का विकास/दोहन राज्य की आवश्यकता है, अतः अतिदोहित/गुणवत्ता प्रभावित जैसे–संकटग्रस्त क्षेत्रों हेतु दीर्घकालिक प्रबन्धन एवं नियोजन की अत्यन्त आवश्यकता है।
- राज्य सरकार इस संसाधन के सस्टेनेबल प्रबन्धन के साथ–साथ इसे संरक्षित करने के लिए गम्भीर है और इसी कड़ी में वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज व एक्यूफर प्रबन्धन जैसे कार्यक्रमों को शासन की प्राथमिकताओं में रखा गया है।
- प्रदेश में भूजल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन तथा विभिन्न योजनाओं में भूगर्भ जल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश में 'समग्र भूजल प्रबंधन नीति' की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा निर्गत की गयी है।

उद्देश्य

- भूगर्भ जल संसाधनों का विनियमित दोहन तथा अनुकूलतम एवं विवेकयुक्त उपयोग किया जाना।
- समग्र भूजल प्रबन्धन हेतु एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्राथमिकता पर योजनाबद्ध तरीके से आरम्भ किया जाना।
- भूजल सम्वर्धन कार्यक्रम को वृहद् स्तर पर एकीकृत रूप से लागू करना तथा अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों को समयबद्ध रूप से सुरक्षित श्रेणी में लाना।
- सतही जल एवं भूजल के सहयुक्त उपयोग को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- संकटग्रस्त भूजल क्षेत्रों में जल उपयोग की कुशल विधाओं को प्रोत्साहित करना।
- भूजल प्रबन्धन, नियोजन एवं संरक्षण में रिवर बेसिन/वाटरशेड अप्रोच को प्राथमिकता देना।
- प्रदूषित भूजल स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित कराना।
- विभिन्न सम्बंधित विभागों द्वारा भूजल संरक्षण एवं संर्वधन के कार्यक्रमों को सहभागी प्रबन्धन के आधार पर समन्वित एवं एकीकृत ढंग से लागू करना।
- भूजल प्रबन्धन के लिए प्रभावी विधिक ढाँचे की व्यवस्था करना।
- शोध एवं प्रशिक्षण के साथ जन जागरूकता को बढ़ावा देना।

रणनीति एवं मुख्य कार्य बिन्दु

➢ एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन

- भूजल संसाधनों के समग्र प्रबन्धन के उद्देश्य से भारत सरकार के एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को वृहद स्तर पर संचालित किया जाना है।
- भविष्य में भूजल संसाधनों के नियोजन, दोहन, उपयोग एवं संरक्षण से सम्बंधित योजनाओं के निष्पादन की रणनीति, क्षेत्र–विशेष के एक्यूफर मैनेजमेन्ट प्लान पर ही निर्भर होगी।

➢ भूजल का अनुकूलतम उपयोग तथा दोहन का नियोजित प्रबन्धन

- प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा हेतु इस संसाधन के विवेकयुक्त, अनुकूलतम एवं मित्व्ययी उपयोग को बढावा देने तथा इसके नियोजित विकास/दोहन के लिए ठोस उपाय लागू किये जाये।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पृथक प्रबन्धन उपायों के क्रियान्वयन का सुझाव नीति में प्रस्तावित है।

➢ वर्षा जल संचयन एवं भूजल संरक्षण/सम्वर्धन

- यह आवश्यक हो गया है कि रिचार्ज योजनाओं को भूवैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर समेकित ढंग से लागू किया जाये, जिसमें भूजल की स्थिति पर सुधार परिलक्षित हो सके।
- भूजल संकट वाले प्रमुख शहरों हेतु समग्र रिचार्ज प्लान तैयार किये जायेंगे।
- भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के साथ सामूहिक रिचार्ज प्रणाली का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर किया जायेगा।
- भूजल रिचार्जिंग हेतु अनिवार्य किये गये प्राविधानों के अनुश्रवण एवं प्रवर्तन के लिए प्रभावी प्रणाली लागू की जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित भूजल रिचार्ज परियोजनाएँ तैयार की जायेंगी, जिससे कि प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाया जा सके।
- बुन्देलखण्ड–विन्ध्यन क्षेत्र के प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड को रिचार्ज संरचनाओं से संतृप्त करने पर बल दिया जायेग।

➢ भूजल विनियमन प्रक्रिया का निर्धारण

- प्रदेश में भूजल संसाधन के विनियमित एवं नियंत्रित दोहन तथा भूजल संचयन/संरक्षण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक विनियमन प्रक्रिया जो व्यवहारिक एवं स्वीकार्य हों, के निर्धारण पर विचार किया जायेगा।

➢ भूजल गुणवत्ता का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यावरण सुरक्षा

- भूजल गुणवत्ता के मैपिंग की एक समेकित कार्य योजना भूगर्भ जल विभाग द्वारा तैयार की जाये। इसके आधार पर विभिन्न सम्बन्धित विभागों के समन्वित प्रयासों से भूजल गुणवत्ता की जी0आई0एस0 आधारित समग्र मैपिंग का कार्य किया जायेगा।

➢ भूजल अध्ययन एवं शोध

- भूजल सेक्टर में नवीन अनुसंधान एवं शोध अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा। भूजल क्षेत्र में नवीनतम शोध व अध्ययन को बढावा देने के लिए प्रदेश में सेण्टर आफ एक्सेलेन्स के रूप में उच्च स्तरीय 'भूजल शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

➢ भूजल आँकड़ों का प्रबन्धन

- विभिन्न विभागों में पृथक–पृथक रूप से उपलब्ध भूजल संसाधनों के विश्वसनीय आँकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण की संगठित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रदेश में भूजल आँकड़ों के प्रभावी प्रबन्धन के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप भूगर्भ जल विभाग में जी0आई0एस0 तकनीक आधारित एक दक्ष 'भूजल डाटा बैंक एवं सूचना तंत्र' (राज्य भूजल सूचना–विज्ञान केन्द्र) विकसित किया जायेगा।

➢ जनपदवार जल प्रबन्धन योजना

- स्थानीय हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक जिले की ''जल प्रबन्धन योजना'' बनायी जायेगी, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग–अलग होगी।

➢ प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता

- वृहद भूजल जन जागरूकता हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 'पंचायत से पंचायत' तथा शहरी क्षेत्रों में 'स्कूल से स्कूल' वृहद अभियान चलाकर भूजल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने की योजना बनायी जायेगी।
- सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाया जायेगा।

➢ वर्तमान संस्थागत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

- प्रदेश में भूगर्भ जल सेक्टर हेतु एक उपयुक्त संस्थागत ढाँचे को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- भूगर्भ जल की नयी चुनौतियों के लिए भूगर्भ जल विभाग को एक नयी दृष्टि के साथ सुदृढ़ किया जायेगा।

योजना की संरचना, अर्न्तविभागीय समन्वय एवं क्रियान्वयन

- भूजल आधारित योजनाओं की संरचना में मार्ग–निर्देश/समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करने तथा अर्न्तविभागीय समन्वय हेतु भूगर्भ जल विभाग में दक्ष विशेषज्ञता के साथ एक ''पृथक प्रकोष्ठ'' की स्थापना की जाये।

अनुश्रवण एवं समीक्षा

- समग्र भूजल नीति के प्राविधानों/मार्ग–निर्देशों का क्रियान्वयन और अनुपालन विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध ढंग से किया जायेगा।
- समग्र नीति के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 'समग्र भूजल नीति अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति' का गठन किया जायेगा।